न्यायालय आर्बिट्रेटर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडॉर रेल परियोजना एवं संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सी0आर0मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त, अजमेर)

परिवाद संख्या :–2020/00831/आर्बिटेशन/अजमेर

1. श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री पूनमचन्द जाति हरिजन निवासी आवास गृह संख्या 16, दुर्गा कॉलोनी गढ़ी मालियान अजमेर।

––परिवादी

बनाम

1. सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर।
2. डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली जरिये मुख्य परियोजना अधिकारी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर, कुन्दन नगर चौराहा, अजमेर।

अप्रार्थीगण

परिवाद अन्तर्गत धारा 20 (6) भारतीय रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 विरूद्ध अधिनिर्णय दिनांक 27.10.2017 सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर जिला अजमेर।

उपस्थितः–

1. श्री लेखू मंघानी, अभिभाषक–परिवादी
2. श्री मिलिंद भातोड़कर, अभिभाषक – अप्रार्थी संख्या–02

पंचाट/निर्णय

दिनांक :– 05–7–2023

परिवाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर के द्वारा ग्राम थोक मालियान तहसील अजमेर में स्थित भूमि अवाप्ति के बारे में अवार्ड दिनांक 27–10–2017 को पारित किया गया है, के विरूद्ध यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

परिवाद Sub-to Limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। परिवादी व अप्रार्थी संख्या 2 के दोनों अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र रेल्वे एक्ट 2008 की धारा 20 (6) के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अवार्ड दिनांक 27–10–2017 को जारी किया जिसकी दिनांक 5–12–2017 को नोटिस के जरिये अवार्ड की सूचना दी। रेल्वे एक्ट के तहत मुआवजा बढ़ाने हेतु प्रार्थना पत्र के लिए कोई मियाद निर्धारित नहीं है। आर्बिटेशन एक्ट की धारा 18 व 19 के प्रावधानों के तहत सिविल प्रकिया संहिता तथा साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है फिर भी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को कियाद में मानकर इसकर गुणावगुण पर निर्णय किया जावे। अतः परिवाद प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत परिवाद को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या–2 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा परिवादी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि परिवादी को भूमि एवं संरचना का सक्षम अधिकारी द्वारा अवार्ड के जरिये पूर्ण भुगतान किया जा चुका है और प्रार्थी ने चेक से भुगतान भी प्राप्त कर लिया है। प्रार्थीया की कोई राशि बकाया नहीं है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे।

हमने दोनों पक्ष के अधिवक्तागण की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में रेल्वे एक्ट 2008 की धारा 20 (6) के तहत समय–समय पर जारी प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसरण में प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से परिवादी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि प्रार्थीया ने एक आवासीय सम्पत्ति जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 20–4–2011 को क्रय की थी। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उपपंजीयक कार्यालय के पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1731 पृष्ठ संख्या 57 पर दर्ज है। उक्त सम्पत्ति का कुल क्षैत्रफल 206 वर्गगज अथवा 1854 वर्गफिट है। उक्त आवासीय सम्पत्ति में एक कमरा, एक स्नानघर निर्मित है जो 328 वर्गफिट है। इसके अलावा 14 वर्गमीटर पर टीनशेड निर्मित है। चारो ओर बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है तथा पानी के टेक बने हुए है व पानी व बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है। उक्त सम्पत्ति नगर निगम की सीमा में स्थित है। सक्षम अधिकारी ने प्रथम बार अवार्ड दिनांक14–7–2011 को जारी किया गया जिसमें अवाप्त की गई सम्पत्ति का मुआवजा 35379/– निर्धारित की गई थी। थोक मालियान अजमेर स्थित कुछ निवासियां ने उक्त अवार्ड दिनांक 14–7–2011 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के समक्ष्ज्ञ एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 14293/14 समुन्दर सिंह व अन्य बनाम रेल्वे बोर्ड नई दिल्ली प्रस्तुत की थी, इस रिट याचिका का निर्णय दिनांक 29–1–2015

को किया गया जिसमें उक्त अवार्ड दिनांक 14–7–2011 को निरस्त कर निर्देशित किया गया कि यदि रेल्वे थोक मालियान स्थित खसरा नम्बरों की भूमि/भवन को अवाप्तकरना चाहता है तो अवाप्ति की कार्यवाही विधि अनुसार पुनः नये सिरे से रेल्वे एक्ट (संशोधित) 2008 की धारा 20ए व धारा 20ई व अन्य प्रावधानों के तहत विधिक प्रक्रिया अपनाकर अवाप्ति की कार्यवाही कर सकते है। उक्त आदेश की पालना में सक्षम अधिाकरी ने थोकमालियान स्थित विभिन्न खसरा नम्बरान की भूमि/भवन की अवाप्ति के लिए नये सिरे से रेल्वे एक्ट (संशोधित) 2008 के तहत धारा 20ए की अधिसूचना संख्या 1408 दिनांक 7–6–2016 को राजपत्र में प्रकाशित की गई तथा इस अधिसूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर व दैनिक नवज्योति अजमेर के संस्करण में दिनांक 22–6–2016 को कराया गया तत्पश्चात उक्त अधिनियम की धारा 20ई की अधिसूचना संख्या 154 (अ) दिनांक 12–1–2017 को राजपत्र में प्रकाशित की गई जिसका राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 26–1–2007 को प्रकाशन कराया गया तत्पश्चात दिनांक 27–10–2017 को अधिनिर्णय पारित किया गया। जिसमें प्राथीया के नाम निम्नानुसार मुआवजा निर्धारित किया गयाः–

कुल अवाप्त भूमि	भूमि का मूल्य	आवासीय मकान का कुल मुआवजा	पूर्व अवार्ड में स्वीकृत मुआवजा	कुल मुआवजा
0.0059 है0	487481/–	––	35379/–	4,87,481/–

इसमें पूर्व में स्वीकृत मुआवजा राशि 35379/– को घटाकर शेष 4,52,102/– रूपये स्वीकृत किये गये जिसमें सोलेशियम मनी पूर्व में भी नहीं दी गई थी एवं आज भी नहीं दी गई है।

उनका यह भी तर्क है भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की चौथी अनुसूचि में रेल्वे एक्ट (संशोधित) 2008 के तहत भी भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानोंके अनुसार मुआवजा तय किये जाने की व्यवस्था की गई है। सक्षम अधिकारी अजमेर ने दूसरी बार दिनांक 27–10–2017 को जो अवार्ड जारी किया गया है वह अवार्ड उक्त नवीन प्रावधानों के तहत जारी नहीं किया गया है तथा उक्त अधिनियम में दिये गये अन्य प्रावधान तथा पुर्नवास नीति 2007 के अन्तर्गत दिये गये परिलाभों का लाभ परिवादी को नहीं दिया गया है। भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूचि के अनुसार मार्केट वेल्यु का दोगुना करने के बाद उस पर 100 प्रतिशत सोलेशियम मनी जोड़कर मुआवजा तय किये जाने की व्यवस्था है। इस पर रेल्वे एक्ट की धरा 20 ए की विज्ञप्ति जारी होने से मुआवजे की राशि प्राप्त होने तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की राशि भी दिये जाने की व्यवस्था है। सक्षम अधिकारी ने इन प्रावधानों की अक्षरशः पालना नहीं की गई है। थोक मालियान अजमेर हेतु जो भूमि/भवन अवाप्त किये गये है वह क्षैत्र नगर निगम सीमा में स्थित है। इस बारे में जिला कलक्टर अजमेर ने अधिसूचना क्रमांक प–2(2)/न.पा./2010/1530 दिनांक 19–6–2010 जारी कर तबीजी फार्म हाऊस के पास रेल्वे क्रोसिंग तक, जवाहर की नाडी तक, चन्द्रवरदाई नगर, सुभाष नगर, संजय नगर, जोंसगंज (थोम मालियान)

नगरनिगम अजमेर की सीमा में माना है। उक्त सम्पूर्ण क्षैत्र शहर की आवासीय व वाणिज्यक गतिविधियों से घिरा हुआ है। फिर भी अवाप्त भूमि को कृषि भूमि मानकर मुआवजा कृषि भूमि से निर्धारित किया गया है जो विधिविरूद्ध है।

भारत सरकार ने भूमि/भवन अवाप्ति के मामलों में जिस प्रभावित व्यक्ति की भूमि व भवन अवाप्ति में ली जा रही है वह व्यक्ति बेघर हो गये ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुर्नवास तथा पुर्नस्थपना नीति 2007 लागू की गई है।

परिवादी अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि रेल मंत्रालय ने परिपत्र क्रमांक ई (एनजी) 4/2010/आरसीएस/1/99/2010 दिनांक 16.07.2010 को एक आदेश जारी कर अवाप्त की जाने वाली भूमि/भवन के मालिक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी व्यवस्था की है। सक्षम अधिकारी के समक्ष इस बिन्दु को उठाया गया था तथा उक्त आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की गई थी, परन्तु सक्षम अधिकारी ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया। परिवादी का परिवार बहुत गरीब है तथा अवाप्ति के पश्चात उसके पास रहने का अन्य कोई साधन नहीं है। इसलिए परिवादी के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलवाई जाये। भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ने दिनांक 23.05.2015 को जो पत्र DFCCIL को लिखा है, उसमें Entitlement of Matrix For DFC संलग्न किया है। उसमें सरकारी नौकरी दिया जाना सम्भव नहीं होने पर एकमुश्त 5,00,000/– रूपये की राशि दिये जाने की व्यवस्था की है। रेलवे अधिनियम (संशोधित एक्ट नं. 11) 2008 की धारा 20 एफ (8) () (इ) व (ब) में अधिग्रहित सम्पत्ति का कब्जा लेने व उस व्यक्ति को अन्य शिफ्ट करने में जो हानि होगी, उसका भुगतान भी प्रभावित पक्षकार को करने की व्यवस्था है। इसी प्रकार धारा 20 जी (5) (6) के तहत भी प्रतिकर की राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है जो कि करवाया जावे। रेल्वे अधिनियम (संशोधन संख्या 11/2008) 2008 की धारा 20–ओ के तहत नैशनल रिहेब्लिटेशन एण्ड रि–सेटलमेंट पॉलिसी 2007 के प्रावधान इस प्रोजेक्ट में भी लागू किये गए हैं। इसी प्रकार भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था का अधिकार अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची के बिन्दु संख्या 2 व 3 के अनुसार भूमि के बदले भूमि दिये जाने की व्यवस्था है। परिवादी की जो भूमि अवाप्त की गई है, उसके बराबर विकसित भूमि परिवादी को दिलवाई जाये। बिन्दु संख्या 5 के अनुसार प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को एक वर्ष तक तीस हजार रूपये प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता दिये जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार 50,000/– रूपये परिवहन खर्चा एवं बिन्दु संख्या 10 के अनुसार एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता अनुग्रह राशि जो कम से कम 50,000/– रूपये है, दिये जाने की व्यवस्था करावें। परियोजना हेतु भूमि के फलस्वरूप अनुच्छेद 7.4.1 के अनुसार सहायता राशि रा.पु.व.पु. नीति 2007 के अनुच्छेद 7.11 के अनुसार स्थानांतरण सहायता एवं पारगमन सहायता तथा अनुच्छेद 7.12 के अनुसार सहायता राशि भी दिलवाई जावे। रेल्वे अधिनियम 2008 की धारा 20 एच (5) के तहत बढ़े हुए मुआवजे पर नियमानुसार 12 प्रतिशत ब्याज दिलवाया जावें।

उनका यह भी तर्क है कि परिवादी अवाप्तशुदा परिसर में एक दुकान चलाता था जो अवाप्ति के कारण टूट गई तथा परिवादी का जीविकोपार्जन का साधन समाप्त हो गया। इसके लिए नियमानुसार परिवादी 5,00,000/–रूपये अतिरिक्त राशि पाने का अधिकारी है।

राजस्थान पुनर्वास नीति 2007 के प्रावधानों के तहत भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के अनुसार 2,13,000/– रूपये सहायता राशि दिलवाई जावे। 30,000/– रूपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता के हिसाब से 3,60,000/– रूपये इस मद से भुगतान कराया जावे।

प्रभावित पक्षकार के परिवार को रेलवे विभाग में सरकारी नौकरी दिलाई जाये, यदि यह सम्भव नहीं हो तो एकमुश्त 5,00,000/– रूपये की राशि दिलाई जावे । अतः परिवादी का परिवाद स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या–2 के विद्वान अभिभाषक ने परिवादी के कथनो के संबंध में बहस के दौरान कथन किया कि सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा दिनांक 14–7–2011 को अवार्ड पारित किया इसमें प्रार्थीया की कुल मुआवजा राशि 3,17,154/– रूपये तय की गई थी जो उसके द्वारा चेक संख्या 018011 दिनांक 28–10–2014 को प्राप्त कर ली गई है। प्रार्थीया का यह कथन असत्य है कि उसने अवार्ड की राशि प्राप्त नहीं की है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय जयपुर के समक्ष एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 14293/14 में रिट याचिका प्रस्तुत करना विवादित नहीं है माननीय उच्च न्यायालय ने जो भूमि अवाप्त की गई थी उसको पुनः विधिसम्मत तरीके से अवाप्त करने की कार्यवाही करने के लिए आदेश प्रदान किये थे। सक्षम अधिकारी ने जो भूमि वर्ष 2011 में नोटिफाईड नहीं थी उसका विधिसम्मत अवाप्ति हेतु अवर्ड दिनांक 27–10–2017 को जारी किया गया था जिसमें प्रार्थीया की 0.0059 हैक्टर भूमि को अवाप्त किया गया जिसकी कुल मुआवजा राशि 4,52,102/– जारी की गई जो प्रार्थीया द्वारा दिनांक 26–2–2018 को प्राप्त कर ली है।

उनका यह भी तर्क है कि रेल्वे संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 20 जी का मात्र है जिसकी भी यथावत पालना की गई है जिसका वर्णन अवार्ड दिनांक 27–10–2017 में किया गया है। प्रार्थी का मुआवजा निर्धारण उस क्षैत्र की उपलब्ध विक्रय विलेख जो कि उच्चतम दर का 50 प्रतिशत का औसत निकालकर प्राप्त दरको उस क्षैत्र की डीएलसी दर से तुलना की गई व जो उच्चतम था उस दर को लिया गया है। सक्षम अधिकारी द्वारा अवार्ड दिनांक 27–10–2017 में मुआवजे का निर्धारण रेल्वे एन्टाइल मेट्रिक्स व रेल्वे संशोधित अधिनियम–2008 के प्रावधान अनुसार किया गया है। अधिनियम 2013 के प्रावधान रेल्वे संशोधित अधिनियम 2008 के द्वारा की गई भूमि अवाप्ति पर लागू नहीं होता है। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर का आदेश दिनांक 9–5–2018 व दिनांक 25–9–2018 से स्पष्ट है कि अधिनियम–2013 के प्रावधान रेल्वे संशोधित अधिनियम 2008 के द्वारा अवाप्त भूमि पर लागू नहीं होते है बल्कि अधिनियम 2013 पर आधारित रेल्वे एन्टाइटल मैट्रिक्स

2015 के प्रावधान लागू होते है जिसकी पूर्णतया पालना की गई है। अवार्ड दिनांक 27–10–2017 में अवाप्त भूमि राजस्व रेकार्ड अनुसार कृषि भूमि है जिसका संपरिवर्तन कृषि भूमि से आवासीय भूमि में नहीं कराया है फिर भी कृषि भूमि पर आवासीय डीएलसी दर से की गई एवं मुआवजे का निर्धारण आवासीय भूमि के अनुरूप किया गया है। भूमि का संपरिवर्तन आवश्यक विधिक मुद्दा है बिना संपरिवर्तन के भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं होती है इस कारण रेल्वे संशोधित अधियिम 2008 की धारा 20 (जी) में विशिष्ट रूप से बाजार दर के निर्धारण के मापदण्ड प्रावधित किये गये है जिनकी पालना की गई है फिर भी प्रार्थीया का मुआवजा उपलब्ध आवासीय दर की डीएलसी दर से बनाया गया है। प्रार्थीया का मकान थोक मालियान सुभाषनगर में स्थित है वहां की नियमानुसार बाजार मूल्य जैसा कि रेल्वे अधिनियम 2008 की धारा 20 जी में उल्लेखित है को ध्यान में रखते हुए मुआवजे का निर्धारण किया है बाजार मूल्य से 4 गुणा मुआवजे का कहीं भी प्रावधान नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि चन्द्रवरदाई नगर अलग क्षैत्र में आता है जिसकी बाजार दर अलग है प्रार्थी का मकान सुभाष नगर में आता है जिसकी बाजार दर अलग है अतः चन्द्रवरदाई नगर की भूमि की दर की तुलना सुभाषनगर की भूमि की दर से नहीं की जा सकती है क्योंकि चन्द्रवरदाई नगर अजमेर विकास प्राधिकरण की सुनियोजित योजना है जबकि सुभाषनगर कृषि भूमि पर निर्मत एक बिना नियोजित बसी कॉलोनी है। अवार्ड दिनांक 27–10–2017 में अवाप्त संरचनाओं का मूल्यांकन रेल्वे संशोधित अधिनियम–2008 की धारा 20 जी के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाई गई है । प्रार्थीया को राष्ट्रीय पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापना नीति 2007 के प्रावधानों के तहत अवार्ड दिनांक 14–7–2011 के तहत अनुदान राशि 20,000/–, पारगमन भत्ता 4,000/–, विस्थापित होने पर स्थानान्तरण भत्ता 10,000/– कुल राशि 34000/– की सहायता दी गई थी जबकि वास्तविक स्थिति में प्रार्थीया का पुर्नवासन एवं पुनर्स्थापना नहीं हुआ है और ना ही आजीविका प्रभावित हो रही है। रेल्वे अधिनियम 2008 में ना तो मकान के बदले मकान और ना जमीन के बदले जमीन देने का कोई प्रावधान है साथ ही परिपत्र दिनांक 16–7–2010 के तहत एक सदस्य को नौकरी दिये जाने का क्लेम किया गया है वह रेल्वे की नीति डीएफसी पर लागू नही होता है। अतः परिवादी का परिवाद न्यायहित में खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की उक्त बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन कर सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट होते है कि सक्षम अधिकारी, एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर ने दिनांक 14–7–2011 के पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय जयपुर के समक्ष एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 14293/14 में रिट याचिका प्रस्तुत करना विवादित नहीं है माननीय उच्च न्यायालय ने जो भूमि अवाप्त की गई थी उसको पुनः विधिसम्मत तरीके से अवाप्त करने की कार्यवाही करने के लिए आदेश प्रदान किये थे। सक्षम अधिकारी ने जो भूमि वर्ष 2011 में नोटिफाईड नहीं थी उसका विधिसम्मत अवाप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा अवार्ड दिनांक 27–10–2017 को

जारी किया गया था। जिसमें प्रार्थीया की 0.0059 हैक्टर भूमि को अवाप्त की गई थी जिसकी कुल मुआवजा राशि 4,52,102/– निर्धारित की गई जो प्रार्थीया द्वारा दिनांक 26–2–2018 को प्राप्त की जा चुकी है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सक्षम अधिकारी द्वारा अवार्ड दिनांक 27–10–2017 में मुआवजे का निर्धारण रेल्वे एन्टाइल मेट्रिक्स व रेल्वे संशोधित अधिनियम–2008 के प्रावधान अनुसार किया गया है। अधिनियम 2013 के प्रावधान रेल्वे संशोधित अधिनियम 2008 के द्वारा की गई भूमि अवाप्ति पर लागू नहीं होता है। राजस्थान उच्च न्यायलय जयपुर का आदेश दिनांक 9–5–2018 व दिनांक 25–9–2018 से स्पष्ट है कि अधिनियम–2013 के प्रावधान रेल्वे संशोधित अधिनियम 2008 के द्वारा अवाप्त भूमि पर लागू नहीं होते है बल्कि अधिनियम 2013 पर आधारित रेल्वे एन्टाइटल मैट्रिक्स 2015 के प्रावधान लागू होते है जिसकी पूर्णतया पालना की गई है। अवार्ड दिनांक 27–10–2017 में अवाप्त भूमि राजस्व रेकार्ड अनुसार कृषि भूमि है जिसका संपरिवर्तन कृषि भूमि से आवासीय भूमि में नहीं कराया है फिर भी कृषि भूमि पर आवासीय डीएलसी दर से की गई एवं मुआवजे का निर्धारण आवासीय भूमि के अनुरूप किया गया है। राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रार्थीया की भूमि एवं भवन कृषि भूमि पर निर्मित है फिर भी प्रार्थीया का मुआवजा उपलब्ध आवासीय दर की डीएलसी दर से बनाया गया है जो विधिसम्मत है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीया का मकान सुभाषनगर में कृषि भूमि पर बसी बिना नियोजित कॉलोनी है और चन्द्रवरदाई अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर की सुनियोजित कॉलोनी है अवार्ड दिनांक 27–10–2017 में अवाप्त संरचनाओं का मूल्यांकन रेल्वे संशोधित अधिनियम–2008 की धारा 20 जी के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाई गई है । प्रार्थीया को राष्ट्रीय पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापना नीति 2007 के प्रावधानों के तहत अवार्ड दिनांक 14–7–2011 के तहत अनुदान राशि 20,000/–, पारगमन भत्ता 4,000/–, विस्थापित होने पर स्थानान्तरण भत्ता 10,000/– कुल राशि 34000/– की सहायता दी गई थी जबकि वास्तविक स्थिति में प्रार्थीया का पुर्नवासन एवं पुनर्स्थापना नहीं हुआ है और ना ही आजीविका प्रभावित हो रही है। रेल्वे अधिनियम 2008 में ना तो मकान के बदले मकान और ना जमीन के बदले जमीन देने का कोई प्रावधान है साथ ही परिपत्र दिनांक 16–7–2010 के तहत एक सदस्य को नौकरी दिये जाने का क्लेम किया गया है वह रेल्वे अधिनियम 2008 व रेल्वे रेल्वे एन्टाइटल मैट्रिक्स–2015 में नौकरी का प्रावधान नहीं है।

परिवादी का कथन असत्य है कि परिवादी की आजीविका प्रभावित हुई है क्योंकि मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व एक संयुक्त सर्वेक्षण करवाया गया तथा उक्त अवाप्त भूमि से आजीविका प्रभावित होने वाले हितबद्धधारियों की मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसके अनुसार पात्र पाये गये हितबद्धधारियों को नियमानुसार अनुदान राशि प्रदान की। प्रार्थी द्वारा वर्णित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के समक्ष एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 14293/14 समुन्दर सिंह व अन्य बनाम रेलवे बोर्ड नई दिल्ली दायर की, इस रिट याचिका का निर्णय

दिनांक 29.01.2015 की अक्षरशः एवं विधिवत रूप से नये सिरे से रेल्वे अधिनियम 1989 संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 20ए एवं 20ई की पालना करते हुए सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा विधिक रूप से अवार्ड पारित किया गया है। परिवादी को सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा रेल्वे अधिनियम की धारा 20डी के तहत प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर अवार्ड दिनांक 27–10–2017 को अवार्ड राशि रूपये 12,96,14,250/– पारित किया जाकर हितबद्धधारियों को नियमानुसार अवार्ड राशि का भुगतान किया है जो विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर परिवादी का आर्बीटेशन परिवाद प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 27–10–2017 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

पंचाट/निर्णय आज दिनांक 5–7–2023 को मध्यस्थ द्वारा पारित किया गया।

(सी0आर0मीना)
मध्यस्थ एवं
संभागीय आयुक्त,
अजमेर